

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- A&F/NNP-Allot.-01/2026-

162 (अप)

पटना, दिनांक :- 11.8.26

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती नीर निर्मल परियोजना) अंतर्गत जयपुर एवं लौरिया एकल ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में संवेदक द्वारा एकरारित दर से अधिक जमा की गई GST की राशि रु०1.82 लाख (एक लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र राज्यांश मद से विमुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय आदेश संख्या-PH/BSWSM/SPMU/Court Case Banka/440/2026-818, दिनांक-10.07.2026 एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका का पत्रांक-2143, दिनांक-14.07.2026 .

महाशय,

उपरोक्त विषयक लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका अंतर्गत जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती नीर निर्मल परियोजना) के तहत जयपुर एवं लौरिया एकल ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के संवेदक M/s. Manglam Agrocon India Pvt. Ltd. द्वारा दायर याचिका, CWJC No.-6326/2026 बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-28.04.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में निर्गत विभागीय आदेश संख्या-PH/BSWSM/SPMU/Court Case Banka/440/2026-818, दिनांक-10.07.2026 में निहित आदेश के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका के पत्रांक-2143, दिनांक-14.07.2026 द्वारा रु०1.82 लाख (एक लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र की अधियाचना की गई है।

उपरोक्त के आलोक में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका अंतर्गत जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती नीर निर्मल परियोजना) के तहत जयपुर एवं लौरिया एकल ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में संवेदक द्वारा एकरारित दर से अधिक जमा की गई GST की राशि रु०1.82 लाख (एक लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र की विमुक्ति बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी०एल० खाता में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन-राज्यांश मद की संचित निधि से निम्न तालिका के अनुसार करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	लोक स्वा० प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	विमुक्त राशि (लाख रु० में)				
			सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल अंकों में	कुल शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बाँका	Jaipur & Lauriya	1.82	-	-	1.82	₹1.82 लाख (एक लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र।
कुल:-			1.82	-	-	1.82	

अनुरोध है कि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी०एल० खाता में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन-राज्यांश मद की संचित निधि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका को उक्त सारणी के अनुसार राशि विमुक्त की जाए।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु०)

कृ०पृ०उ०

1. प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 - i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी०एल० खाता में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के राज्यांश मद में उपलब्ध निधि से CFMS Module के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के निर्माण पर व्यय किया जाए।
 - ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
 - iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
 - iv. आवंटन का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं है। आवंटित निधि का व्यय वित्तीय नियमावली/प्रावधानों के तहत ही किया जाए।
2. प्रतिलिपि-संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मू०)-सह-सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रतिलिपि-सचिव, के प्रधान आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रतिलिपि-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र भागलपुर तथा अधीक्षण अभियंता; लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार/मोनेटरिंग)/विशेष पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/अधीक्षण अभियंता (मो०)/कार्यपालक अभियंता (मो०-1/2)/उपनिदेशक (अन्वेषण)/उपनिदेशक (मू०)/कार्यपालक अभियंता (मू०/मो०)/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी-6ए/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा-6, लो०स्वा० अभि० विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

14 अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु०)